Telex No. RAIL BD 3651

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No.E(NC)II-72RG/1 New Delhi, dated 9-1-1975.

The General Managers,
All Indian Railways, CLW, DLW & ICF.

The Director General,
R.D.S.O.,
Lucknow.

Sub:-Termination of services by payment of pay in lieu of notice.

Attention is invited to the amendment made to Rule 149(4) & (5)RI vide Railway Board's letter No. E(NG)II-72RG/1 dated 9-1-1975.

2. During the discussion in the meeting of the National Council set up under the Joint Consultative Machinery the staff side pointed out, that the above amendment might lead to delay in making payment of pay and allowances in lieu of notice to temporary railway servants discharged summarily. In order to allay this apprehension, it was agreed by the Official Side that although the amendment provides that upon the termination of services of a temporary railway servant forthwith, he would be entitled to claim his pay and allowances in lieu of notice, executive instructions would be issued to the effect that the competent authorities concerned should make payment of pay and allowances to such railway servants immediately on their discharge.

3. The agreement reached in the National Council is brought to the notice of the Railway Administrations for issuing suitable instructions accordingly, to the appointing authorities under them that immediately on discharge, pay and allowances should be paid.

(This should be done keeping in view Section5(2) of the Payment of Wages Act, 1936.)

R.D. Lakhanpal

(R.D. Lakhanpal)
Assistant Director Establishment,
Railway Board.

---2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं० ई०(एन०जी०)11-72 आर०जी०/1 नयी दिल्ली, दिनांक 9-1-75

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें और
चितरंजन रेल इंजन कारखाना,
डीजल रेल इंजन कारखाना
तथा सवारी डिब्बा कारखाना ।
महा निदेशक, अनुसंधान, अभिकल्प, मानक संगठन, लखनऊ ।

विषय :- नोटिस के बदले में वेतन का भुगतान करके सेवा समाप्ति ।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 9-1-1976 के पत्र सं० ई(एन०जी०)11-72 आर०जी०/1 के अनुसार नियम 149(4)और (5) स्था० । में किये गये संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. सयुंक्त परामर्श तंत्र के अधीन गठित राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में विचार विमर्श के दौरान कर्मचारी पक्ष ने यह बताया था कि उपर्युक्त संशोधन से संक्षिप्त सेवा मुक्त हुए अस्थायी कर्मचारियों के नोटिस के बदले में वेतन तथा रकमों का भुगतान करने में विलम्ब हो सकता है । इस आशंका को दूर करने के लिए, सरकारी पक्ष ने इस बात को मान लिया कि यद्यपि संशोधन में यह व्यवस्था है कि अस्थायी कर्मचारी की सेवा तुरन्त समाप्त हो जाने पर वह उक्त नोटिस के बदले में अपने वेतन और रकमों का दावा करने का हकदार होगा तथापि इस आशय के कार्यकारी अनुदेश जारी किये जायेंगे कि संबंधित सक्षम प्राधिकारी को चाहिए कि ऐसे सभी कर्मचारियों को सेवा मुक्त होने पर तुरंत उनके वेतन औरभत्तों का भुगतान कर दें ।

राष्ट्रीय परिषद् में किये गये समझौते की ओर रेल प्रशासनों का ध्यान दिलाया जाता है ताकि वे अपने अधीन नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों को तदनुसार इस तरह के उपयुक्त अनुदेश जारी करें कि सेवा से मुक्त होने पर वेतन और रकमों का भुगतान तुरंत किया जाये ।

(वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 5(2) को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया जाना चाहिए)

(आर०डी० लखनपाल)
सहायक निदेशक, स्थापना, रेलवे बोर्ड ।